



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

04 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 8 राँची, बुधवार

25 मार्च, 2026 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 174-202 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**-----
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
-----**18 फरवरी, 2026**

पत्रांक :- 13/आई0पी0एस0-117/2020-689

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),

झारखण्ड, राँची।

विषय :- श्री नौशाद आलम अंसारी, भा०पु०से०(2010) के द्वारा दिनांक-25.09.2025 से 31.12.2025 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3675, दिनांक-18.09.2025 के अनुपालन में श्री नौशाद आलम अंसारी, भा०पु०से० द्वारा दिनांक-24.09.2025 के अपराहन में पुलिस उप-महानिरीक्षक, पलामू का प्रभार सौंपकर दिनांक-25.09.2025 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना सं०-5088, दिनांक-31.12.2025 द्वारा इन्हें पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-01.01.2026 के पूर्वाहन में पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार श्री नौशाद आलम अंसारी, भा०पु० से० दिनांक-25.09.2025 से 31.12.2025 कुल- 98 (अन्ठानवे) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री नौशाद आलम अंसारी, भा०पु० से० (2010) के द्वारा दिनांक-25.09.2025 से 31.12.2025 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

दिनांक-25.09.2025 से 31.12.2025 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(a)(ii) तथा 9(6)(b)(i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) तथा 14(ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

3. श्री नौशाद आलम अंसारी, भा०पु०से० (2010) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

15 दिसम्बर, 2025

पत्रांक :- 13/आई०पी०एस०-112/2025-4865

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

विषय :- श्री अनिमेष नैथानी, भा०पु० से० (2016) के द्वारा दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना जापांक-2120, दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में श्री अनिमेष नैथानी, भा०पु०से० द्वारा दिनांक-28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रभार सौंपकर दिनांक-02.06.2025 को पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना सं०-3684, दिनांक-18.09.2025 द्वारा इन्हें पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार श्री नैथानी दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक कुल- 113 (एक सौ तेरह) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री अनिमेष नैथानी, भा०पु० से० (2016) के द्वारा दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक-29.05.2025 एवं 01.06.2025 को पारगमन अवधि के रूप में।

(ii) दिनांक-02.06.2025 से 18.09.2025 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6) (a)

(ii) तथा 9 (6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 (क) तथा 14 (ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

होगा।

3. श्री अनिमेष नैथानी, भा०पु०से० (2016) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

15 दिसम्बर, 2025

पत्रांक-13/आई०पी०एस०-113/2025-4864

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),

झारखण्ड, राँची।

विषय :- श्री दीपक कुमार पाण्डेय, भा०पु०से०(2016) के द्वारा दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना जापांक-2104, दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में श्री दीपक कुमार पाण्डेय, भा०पु०से० द्वारा दिनांक-28.05.2025 के अप० में पुलिस अधीक्षक, गढ़वा का प्रभार सौंपकर दिनांक-02.06. 2025 को पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना सं०-3683, दिनांक-18.09.2025 द्वारा इन्हें पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-19.09.2025 के पूर्वा० में पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार श्री पाण्डेय दिनांक- 29.05.2025 से 18.09.2025 तक कुल- 113 (एक सौ तेरह) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री दीपक कुमार पाण्डेय, भा०पु०से० (2016) के द्वारा दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक-29.05.2025 एवं 01.06.2025 को पारगमन अवधि के रूप में।

(ii) दिनांक-02.06.2025 से 18.09.2025 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6) (a) (ii) तथा 9 (6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 (क) तथा 14 (ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

3. श्री दीपक कुमार पाण्डेय, भा०पु०से० (2016) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

15 दिसम्बर, 2025

पत्रांक :- 13/आई०पी०एस०-115/2023-4863

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

विषय :- श्री मनोज स्वर्गियारी, भा०पु०से० (2018) के द्वारा दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना जापांक-2117, दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में श्री मनोज स्वर्गियारी, भा०पु०से० द्वारा दिनांक-28.05.2025 के पूर्वा० में पुलिस अधीक्षक, बोकरो का प्रभार सौंपकर दिनांक-29.05. 2025 को पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना सं०-3687, दिनांक-18.09.2025 द्वारा इन्हें समादेष्टा, झा०स०पु०-03, गोविन्दपुर, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा

दिनांक-19.09.2025 के अपराहन में समादेष्टा, झांसेपुं-03, गोविन्दपुर, धनबाद का प्रभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार श्री स्वर्गियारी दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक कुल-113 (एक सौ तेरह) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री मनोज स्वर्गियारी, भांपुंसें (2018) के द्वारा दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक-29.05.2025 से 18.09.2025 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9 (6) (a) (ii) तथा 9 (6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 (क) तथा 14 (ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

3. श्री मनोज स्वर्गियारी, भांपुं सें (2018) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

15 दिसम्बर, 2025

पत्रांक :- 13/आई०पी०एस०-132/2019-4862

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),

झारखण्ड, राँची।

विषय :- श्रीमती सुमन गुप्ता, भा०पु०से० (1997) के द्वारा दिनांक-28.05.2025 से 18.09.2025 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2076, दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में श्रीमती सुमन गुप्ता, भा०पु०से० द्वारा दिनांक-28.05.2025 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना सं०-3663, दिनांक-18.09.2025 द्वारा इन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-19.09.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार श्रीमती गुप्ता दिनांक-28.05.2025 से 18.09.2025 तक कुल- 114 (एक सौ चौदह) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्रीमती सुमन गुप्ता, भा०पु०से० (1997) के द्वारा दिनांक-28.05.2025 से 18.09.2025 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक-28.05.2025 से 18.09.2025 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6) (a) (ii) तथा 9 (6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 (क) तथा 14 (ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

3. होगा। श्रीमती सुमन गुप्ता, भा०पु०से० (1997) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

15 दिसम्बर, 2025

पत्रांक :- 13/आई०पी०एस०-113/2023-4861

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।**विषय :- डॉ० एहतेशाम वकारिब, भा०पु०से० (2015) के द्वारा दिनांक-28.05.2025 से 18.09.2025 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2110, दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में डॉ० एहतेशाम वकारिब, भा०पु०से० द्वारा दिनांक-28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा का प्रभार सौंपकर दिनांक-02.06.2025 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना सं०-3679, दिनांक-18.09.2025 द्वारा इन्हें पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार डॉ० वकारिब दिनांक-28.05.2025 से 18.09.2025 तक कुल- 114 (एक सौ चौदह) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा डॉ० एहतेशाम वकारिब, भा०पु०से० (2015) के द्वारा दिनांक-28.05.2025 से 18.09.2025 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक-28.05.2025 एवं 01.06.2025 को पारगमन अवधि के रूप में।
- (ii) दिनांक-02.06.2025 से 18.09.2025 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6) (a) (ii) तथा 9 (6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 (क) तथा 14 (ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

3. डॉ० एहतेशाम वकारिब, भा०पु०से० (2015) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
2 फरवरी, 2026

संख्या-13/पी-103/2024-350--सी० भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान Level-12 of Pay Matrix में इस शर्त के साथ प्रोन्नति प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, फेज-III पूर्ण कर लिया जाय :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री दीपक कुमार शर्मा, भा०पु०से० (2016)	01.01.2025
2	श्री अनिमेष नैथानी, भा०पु०से० (2016)	01.01.2025
3	श्री कुमार गौरव, भा०पु०से० (2017)	01.01.2026
4	श्री राकेश रंजन, भा०पु०से० (2017)	01.01.2026
5	श्री हारिश बिन जमाँ, भा०पु०से० (2017)	01.01.2026
6	श्री नाथू सिंह मीणा, भा०पु०से० (2017)	01.01.2026
7	श्रीमती रेशमा रमेशन, भा०पु०से० (2017)	01.01.2026
8	श्री अजय कुमार, भा०पु०से० (2017)	01.01.2026
9	श्री आरिफ एकराम, भा०पु०से० (2017)	01.01.2026
10	श्री कैलाश करमाली, भा०पु०से० (2017)	01.01.2026

(ii) उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

05 फरवरी, 2026

संख्या-13/आई०पी०एस०-101/2026-392--श्री नागरगोजे शुभम भाउसाहेब, भा०पु० से० (2021) को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-19.01.2026 से दिनांक-21.02.2026 तक कुल 34 (चौतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, उक्त अवधि के अन्तर्गत दिनांक-09.02.2026 से दिनांक-18.02.2026 तक की अवधि के लिए निजी प्रयोजन हेतु निजी व्यय पर विदेश (इंडोनेशिया) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

पथ निर्माण विभाग

आदेश

20 मार्च, 2026

सं०सं० : निग / सारा (पथ) - 02 - अभि०-11-31/2011..... RCD_2026_1228(S) (2)--

Case No. RC-08(A)/2010-R में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - III- सह - विशेष न्यायाधीश सी०बी०आई०, धनबाद के द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित न्यायादेश में (i) श्री प्रकाश चन्द्र सिंह, उदेन कार्यपालक अभियंता, (ii) श्री अन्धोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता एवं (iii) श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा को निमा दण्ड दिया गया है:-

Section	Sentence of imprisonment	Nature of Imprisonment	Fine	In default of fine (Imprisonment)
13(2)/r/w 13(1) (d) of P. C. Act 1988	6 Years	R.I.	1,50,000 each	S.I. for 01 year each
u/s 120B r/w 420, 468, 471 IPC	5 Years	R.I.	30,000 each	S.I. for 3 months each
U/s 420 IPC	5 Years	R.I.	30,000 each	S.I. for 3 months each
U/s 468 IPC	5 Years	R.I.	30,000 each	S.I. for 3 months each
U/s 471 IPC	5 Years	R.I.	30,000 each	S.I. for 3 months each

All the sentences aforesaid shall run concurrently and the period already undergone during investigation and trial of this case shall be set of in the punishment of imprisonment as awarded above.

2. पुलिस अधीक्षक / शाखा प्रधान, सी०बी०आई०, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद का पत्रांक- 812 / 03 / 08 (A) / 2010 - R दि०- 17.03.2023 द्वारा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - III - सह - विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, धनबाद के द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए (i) श्री प्रकाश चन्द्र सिंह तदेन कार्यपालक अभियंता, (ii) श्री अन्धोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता एवं (iii) श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा के विरुद्ध निम्न कार्रवाई करने हेतु प्राप्त हुआ है:-

"The more appropriate course in all such cases is to take action under clause (a) of the second proviso to article 311 (2) once a govt. servant is convicted of a criminal charge and not to wait for the appeal or revision, as the case may be. If however, the Govt. Servant accused is acquitted on appeal or other proceedings, the order can always be revised and if the Govt. Servant is reinstated,

he will be entitled to all benefits to which he would have been entitled to, had he continued in service. The other course suggested viz. to wait till the appeal, revision and other remedies are over, would not be advisable since it would mean continuing in service a person who has been convicted of a serious offence by a criminal court.

It is therefore, requested that the aforesaid convict working in your deptt. may be dealt with, in accordance with above observation of Hon'ble Supreme Court of India, under intimation to the Branch."

3. विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-43 / जे०, दिनांक-18. 04.2011 के द्वारा (i) श्री प्रकाश चन्द्र सिंह तदेन कार्यपालक अभियंता (ii) श्री अन्धोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता एवं (iii) श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. श्री प्रकाश चन्द्र सिंह तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या - 7550 (एस), दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया है:-

(i) अपने पद के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति.

(ii) सरकारी राजस्व की हुई हानि की अनुपातिक वसूली!

उक्त अधिसूचना के कंडिका- (i) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 264 (एस), दिनांक 07.05.2018 के द्वारा श्री सिंह से सरकारी राजस्व की हुई कुल हानि ₹ 9,30,850 / - की अनुपातिक राशि ₹ 3,10,283.33 (तीन लाख दस हजार रुपये दो सौ तिरासी तैंतीस पैसे) की वसूली करने का निर्णय लिया गया।

श्री अन्थोनी तिग्गा तदेन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या - 3597 (एस), दिनांक 22.05.2015 के द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया है:-

(i) अपने पद के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति,

(ii) सरकारी राजस्व की हुई कुल क्षति ₹ 9,30,850 / - की अनुपातिक राशि ₹ 3,10,283.33 (तीन लाख दस हजार दो सौ तिरासी रुपये तैंतीस पैसे) की वसूली।

जामा-जामताड़ा-रूपनारायणपुर रोड के सतह नवीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए श्री प्रकाश चन्द्र सिंह तदेन कार्यपालक अभियंता एवं 2. श्री अन्थोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता दोनों पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी संचालित करते हुए उनके विरुद्ध दण्ड अधिरोपित किया जा चुका है। श्री नरेश प्रसाद सिंह तदेन कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा के जुलाई, 2007 में सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम - 43 (बी) के तहत मामला कालबाधित हो जाने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की गयी।

5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - III - सह - विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, धनबाद के आदेश दिनांक 31.01.2023 के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड का मंतव्य निम्नवत् हैं-

In my opinion, the proceeding may be taken under Rule - 43 (a) against: Naresh Prasad Singh based on the judgement of conviction and sentence passed by the learned Trial Court. The proceeding will be for the recovery of amount of loss caused by the pensioner namely Naresh Prasad Singh."

6. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-3628, दि०-15.09.2025 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा सजा देने के फलस्वरूप पेंशन नियमावली के नियम - 43 (क) के तहत जामा-जामताड़ा- रूपनारायणपुर रोड के सतह नवीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए सरकारी राजस्व की हुई कुल हानि ₹ 9,30,850/- की अनुपातिक राशि ₹ 3,10,283.33 (तीन लाख दस हजार दो सौ तिरासी रुपये तैंतीस पैसे) की वसूली श्री नरेश प्रसाद सिंह तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त के पेंशन से समान किस्तों में कटौती करने हेतु श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

7. उक्त पत्र प्रत्युत्तर में श्री नरेश प्रसाद सिंह तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त का पत्रांक- शून्य, दि०-25.09.2025 प्राप्त हुआ। 8. अतएव Case No. RC-08(A)/2010 R में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -III-सह-विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, धनबाद के द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक / शाखा प्रधान, सी०बी०आई०, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद का प्राप्त पत्र एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री सिंह का द्वितीय कारण पृच्छा का प्राप्त जवाब के सनीक्षोपरांत झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम - 43 (a) के तहत श्री नरेश प्रसाद सिंह तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त से जामा - जामताड़ा - रूपनारायणपुर रोड के सतह नवीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए श्री सिंह के पेंशन से वसूली हेतु निम्न निर्णय लिया जाता है:-

"सरकारी राजस्व की हुई कुल हानि ₹ 9,30,850/- की अनुपातिक राशि ₹ 3,10,283.33 (तीन लाख दस हजार दो सौ तिरासी रुपये तैंतीस पैसे) की वसूली श्री सिंह के पेंशन से पहला किस्त ₹ 5,283.33 / - (पांच हजार दो सौ तिरासी रुपये तैंतीस पैसे) एवं शेष ₹ 3,05,000 / - (तीन लाख पांच हजार) की वसूली 61 (इकसठ) समान किस्तों में (प्रति किस्त ₹ 5000 / -) की जाएगी।"

(प्रवीण जयंत भंगरा)

अभियंता प्रमुख।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION**30th January 2026**

Memo No.-10/C.B.I.-402/2026-562--Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand upon request made vide letter number 30/2026-R, dated 17.01.2026 of DIG of Police /Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of a regular case against an employee of Ministry of Defence for committing offence u/s 7 of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offences that may come to light during investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,

Under Secretary to Government.

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION 30th January 2026

Memo No.-10/C.B.I.-401/2026-561--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment in the whole state of Jharkhand upon request made via letter number 07/CO-1/2026, dated 12.01.2026 of Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of regular case against employees of Postal Department, Sahebganj for the offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light during investigation of this case, including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,
Under Secretary to Government.

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

06 मार्च, 2026

संख्या-13/आई॰पी॰एस॰-102/2026-969--श्री राजेश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2020), समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-06, जमशेदपुर को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-06.03.2026 से दिनांक-17.03.2026 तक कुल- 12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

27 February, 2026

Memo No.-10/C.B.I.-407/2026-1398--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment in the whole state of Jharkhand upon request made via letter number 97/CO-4/2026-D, dated 23.02.2026 of Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of regular case against public servant of Indian Railways, Dhanbad Division, Dhanbad for the offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light during investigation of this case, including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,
Under Secretary to Government.

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।-----
अधिसूचना**02 मार्च, 2026 ई०।**

संख्या-13/आई०पी०एस०-126/2019-894--श्रीमती अन्नेषु विजयलक्ष्मी, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(D) के तहत दिनांक-05.03.2026 से दिनांक-10.04.2026 तक कुल-37 (सैंतीस) दिनों के Child Care Leave की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती अन्नेषु विजयलक्ष्मी, भा०पु०से० के अवकाश अवधि में डॉ० माईकलराज एस०, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।-----
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।-----
अधिसूचना**06 मार्च, 2026 ई०।**

संख्या-21/सै०क०(विविध)-01/2026-941—भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन एवं पुनर्वास के लिए “समामेलित निधि की राज्य प्रबंधन समिति (State Managing Committee of Amalgamated Fund)” का गृह विभाग की अधिसूचना संख्या-6227, दिनांक 07.11.2023 द्वारा दो वर्षों के लिए पुनर्गठन किया गया था। इस समिति को अगले दो वर्षों (दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2027 तक) के लिए निम्न रूपेण पुनर्गठित किया जाता है:-

1.	अध्यक्ष	माननीय राज्यपाल, झारखण्ड।
2.	प्रथम उपाध्यक्ष	मुख्य सचिव, झारखण्ड।
3.	द्वितीय उपाध्यक्ष	सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
4.	तृतीय उपाध्यक्ष	सेना के वरिष्ठ अधिकारी यथा जी०ओ०सी०, 23 इन्फैन्ट्री डिवीजन द्वारा 56 ए०पी०ओ०।
5.	सदस्य	अवर सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक, आर०के०पुरम, नई दिल्ली।

6.	सदस्य	मेजर जनरल मनोज कुमार (अ०प्रा०)।
7.	सदस्य	ब्रिगेडियर अमरेन्द्र नारायण (अ०प्रा०)।
8.	विशेष आमंत्रित	अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड
9.	विशेष आमंत्रित	अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड।
10.	विशेष आमंत्रित	महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11.	विशेष आमंत्रित	सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12.	विशेष आमंत्रित	निदेशक, पुनर्वास, पूर्वी जोन, पुनर्वास मुख्यालय, पूर्वी कमान, कोलकाता।
13.	विशेष आमंत्रित	कमाण्डर, झारखण्ड एवं बिहार-सब एरिया दानापुर कैन्ट, पटना।
14.	सदस्य सचिव	निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

भाग-9-खप्रकाशनार्थ सर्वसाधारण सूचना****सूचना****

“झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र में नाम परिवर्तन से संबन्धित विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए कोई कानूनी उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति ही इसके कानूनी परिणामों और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा”।

मैं, NAVIN KUMAR CHANDRA, LAVANYA CHANDRA अन्य नाम ISHIKA CHANDRA का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री LAVANYA CHANDRA के नाम से जानी जाएगी।
LAVANYA CHANDRA एवं ISHIKA CHANDRA दोनों एक ही महिला का नाम है।
(ADDRESS:- ROAD NO.-2 SWARNA REKHA NAGAR, KETARI BAGAN NAMKUM, RANCHI, JHARKHAND-834010).

मैं, NAVIN KUMAR CHANDRA, SUHANI CHANDRA अन्य नाम SAANVI CHANDRA पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SUHANI CHANDRA के नाम से जानी जाएगी।
SUHANI CHANDRA एवं SAANVI CHANDRA दोनों एक ही महिला का नाम है।
(ADDRESS:- ROAD NO.-2 SWARNA REKHA NAGAR, KETARI BAGAN NAMKUM, RANCHI, JHARKHAND-834010).

मैं, रंजीत प्रसाद, दीपशिखा कुमारी अन्य नाम अंशु कुमारी का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री दीपशिखा कुमारी के नाम से जानी जाएगी।
दीपशिखा कुमारी एवं अंशु कुमारी दोनों एक ही महिला का नाम है।
(ADDRESS:- KARAM CHAWK, VIDYA NAGAR P.O.-HARMU, P.S.- ARGORA, DORANDA, RANCHI, JHARKHAND).

मैं, ANITA AIND, ANSHIKA AIND अन्य नाम ANISHKA AIND का माता, घोषणा करती हूँ की मेरी पुत्री ANSHIKA AIND के नाम से जानी जाएगी।
ANSHIKA AIND एवं ANISHKA AIND दोनों एक ही महिला का नाम है।
(ADDRESS:- VILL- LATHAKHAMAN BHERITOLI, P.O.- LATHAKHAMAN, P.STHETHAITANGAR, DIST. - SIMDEGA, JHARKHAND).

मैं, SAKET KUMAR DWIVEDI, अनुपमा कुमारी (ANUPAMA KUMARI) अन्य नाम अनुपा कुमारी (ANUPA KUMARI) का पिता, घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री अनुपमा कुमारी (ANUPAMA KUMARI) के नाम से जानी जाएगी।

अनुपमा कुमारी (ANUPAMA KUMARI) एवं अनुपा कुमारी (ANUPA KUMARI) दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- SUNDA, P.O.- PANDEPURA, P.S.- PATAN, DIST.- PALAMU, JHARKHAND).

मैं, DHIRAJ KUMAR SINGH, PRIYANSHU KUMAR, अन्य नाम ADARSH SINGH का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्री PRIYANSHU KUMAR के नाम से जाना जाएगा।

PRIYANSHU KUMAR एवं ADARSH SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- PATSA, P.O.-SANGHI (KALA), P.S.- GARHWA, DIST.- GARHWA, JHARKHAND-822124).

मैं, SHRINIVAS RAO, CH. REVANTH अन्य नाम REVANTH CHITCHULA का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र CH. REVANTH के नाम से जाना जाएगा।

CH. REVANTH एवं REVANTH CHITCHULA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- HOUSE NO.-2/B, TYPE, NORTH RAILAY COLONY, CHUTIA, NEAR R.R.B, P.O+P.S.- CHUTIA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND).

मैं, देवन्ती देवी, सोहित कुमार (SOHIT KUMAR) अन्य नाम सोहिल कुमार (SOHIL KUMAR) का माता, घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र सोहित कुमार (SOHIT KUMAR) के नाम से जाना जाएगा।

सोहित कुमार (SOHIT KUMAR) एवं सोहिल कुमार (SOHIL KUMAR) दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- BALRO TAND, P.O.- LOKAI, P.S.- KODERMA, DIST.- KODERMA, JHARKHAND).

मैं, उपेन्द्र कुमार, कार्तिक राज अन्य नाम गोलू कुमार का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र कार्तिक राज के नाम से जाना जायगा।

कार्तिक राज एवं गोलू कुमार दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL-RAHANBIGHA, P.O.- SATBAHINI, P.S.-UNTARI ROAD, DIST.- PALAMU, JHARKHAND-822120).

मैं, निरावती देवी, बिपुल भगत (BIPUL BHAGAT) अन्य नाम विपुल भगत (VIPUL BHAGAT) का माता, घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र बिपुल भगत (BIPUL BHAGAT) के नाम से जाना जायगा।

बिपुल भगत (BIPUL BHAGAT) एवं विपुल भगत (VIPUL BHAGAT) दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- DARHA, P.O.- DARHA, P.S.- BARIYATU, DIST- LATEHAR, JHARKHAND).

मैं, माधुरी देवी अन्य नाम माधुरी वर्णवाल, पति अरुण वर्णवाल, घोषणा करती हूँ कि मैं माधुरी देवी के नाम से जानी जाऊँगी।

माधुरी देवी एवं माधुरी वर्णवाल दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- BOMPASS TOWN, KHORADAH, WORD-35 P.O.+P.S.- DEWGHAR, DIST.- DEWGHAR, JHARKHAND).

मैं, टेकबी देवी (TEKBI DEVI) अन्य नाम सुकरी देवी (SUKRI DEVI), पति घनश्याम महतो, घोषणा करती हूँ कि मैं टेकबी देवी (TEKBI DEVI) के नाम से जानी जाऊँगी।

टेकबी देवी (TEKBI DEVI) एवं सुकरी देवी (SUKRI DEVI) दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- PATHALDIHA, P.O.- BARWADIH, P.S.-BAGODAR, DIST.- GIRIDIH, JHARKHAND).

मैं, मारग्रेट (MARGRET) अन्य नाम मार्गेट आईन्द (MARGET AIND), पति स्तानिसलास आईन्द (STANISLAS AIND), घोषणा करती हूँ कि मैं मारग्रेट (MARGRET) के नाम से जानी जाऊँगी।

मारग्रेट (MARGRET) एवं मार्गेट आईन्द (MARGET AIND) दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- UKRIMARI JATRA TOLI, P.O.- ICHA, P.S.- TORPA, DIST.- KHUNTI, JHARKHAND-835227).

मैं, JIBNI DEVI अन्य नाम TIPANI DEVI, पति LATE BHUKHAL SAW घोषणा करती हूँ कि मैं JIBNI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

JIBNI DEVI एवं TIPANI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- CHOUDHARIBANDH, P.O.- CHOUDHARIBANDH, P.S.- BAGODAR, DIST-GIRIDIH, JHARKHAND-825322).

मैं, KHUSHBOO DUNGDUNG अन्य नाम SONY KHUSHBOO DUNG DUNG, पिता XAVIER DUNGDUNG, घोषणा करती हूँ कि मैं KHUSHBOO DUNGDUNG के नाम से जानी जाऊँगी ।

KHUSHBOO DUNGDUNG एवं SONY KHUSHBOO DUNG DUNG दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- BHUTKUDAR PAHARTOLI, P.O.- KOROMIA, P.S.- THETHAITANGAR, DIST-SIMDEGA, JHARKHAND-835226).

मैं, KUMARI RESHMI अन्य नाम RASHMI SINGH पिता SRI MUKESH KUMAR SINGH AND SMT. SIMA SINGH, घोषणा करती हूँ कि मैं KUMARI RESHMI के नाम से जानी जाऊँगी ।

KUMARI RESHMI एवं RASHMI SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O. PLOT NO.-154, VILL-BANGAWAN, P.O.-NAMKUM, P.S.- NAMKUM, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834010).

मैं, NITU KUMARI अन्य नाम NITU SHARMA पिता SRI SURENDRA SHARMA पति SRI LAXMAN SHARMA, घोषणा करती हूँ कि मैं NITU KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

NITU KUMARI एवं NITU SHARMA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- RD.-NO.-5, SRI HARI NAGAR, NEW MADHUKAM, P.O.- HEHAL. P.S.- SUKHDEO NAGAR, DIST- RANCHI, JHARKHAND-834001).

मैं, BAHAMUNI SOREN अन्य नाम BAHAMUNI MARANDI, पति LATE RABAN MARANDI, घोषणा करती हूँ कि मैं BAHAMUNI SOREN के नाम से जानी जाऊँगी ।

BAHAMUNI SOREN एवं BAHAMUNI MARANDI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- KHAIRBAI, P.O-BARA DIGHI, P.S- RANGA, DIST.- SAHIBGANJ, JHARKHAND-816101).

मैं, VIRDA SHAKIL अन्य नाम VIRDA AHMAD, पति ARIF AHMAD, घोषणा करती हूँ कि मैं VIRDA SHAKIL के नाम से जानी जाऊँगी ।

AISHAH KHAN एवं VIRDA AHMAD दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O 86, MILLAT NAGAR, P.O.- MAKHDUMPUR, P.S.- BALIDIH, DIST.- BOKARO, JHARKHAND).

मैं, केसिया देवी (KESIYA DEVI) अन्य नाम खेमनी देवी (KHEMANI DEVI), पति देवकी महतो, घोषणा करती हूँ कि मैं केसिया देवी (KESIYA DEVI) के नाम से जानी जाऊँगी।

केसिया देवी (KESIYA DEVI) एवं खेमनी देवी (KHEMANI DEVI), दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- KANDTARI, P.O.- SANDH, P.S.- BARKAGAON, DIST.- HAZARIBAG, JHARKHAND).

मैं, SUMITRA BHAGAT अन्य नाम SUMITRA DEVI, पति RAVIKANT BHAGAT, घोषणा करती हूँ कि मैं SUMITRA BHAGAT के नाम से जानी जाऊँगी।

SUMITRA BHAGAT एवं SUMITRA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- SANTOSHI NAGAR, TOTO, P.O.- TOTO, P.S.- GUMLA, DIST.- GUMLA, JHARKHAND-835233).

मैं, SUNITA KERKETTA अन्य नाम SISTER MAHIMA M.C , पिता PAULUS KERKETTA घोषणा करती हूँ कि मैं SUNITA KERKETTA के नाम से जानी जाऊँगी।

SUNITA KERKETTA एवं SISTER MAHIMA M.C दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- MISSIONARIES OF CHARITY CONTEMPLATIVE, DIBDIH NAYA TOLI, DORANDA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834002).

मैं, ESTHER XAXA अन्य नाम SISTER M LEENA JOHN M.C , पिता FRANCIS XAXA घोषणा करती हूँ कि मैं ESTHER XAXA के नाम से जानी जाऊँगी।

ESTHER XAXA एवं SISTER M LEENA JOHN M.C दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- MISSIONARIES OF CHARITY CONTEMPLATIVE, DIBDIH NAYA TOLI, DORANDA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834002).

मैं, JACINTA EKKA अन्य नाम JACINTA MINJ, पति BASANT MINJ, पिता VINCENT EKKA घोषणा करती हूँ कि मैं JACINTA EKKA के नाम से जानी जाऊँगी।

JACINTA EKKA एवं JACINTA MINJ दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- RINGARE, P.O.- SHRINAGER, P.S.- JARI, DIST.- GUMLA, JHARKHAND-835206).

मैं, SANYA KUMARI अन्य नाम SANIYA KUMARI, पिता BIRENDRA PRASAD GUPTA, माता SHOBHA DEVI घोषणा करती हूँ कि मैं SANYA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

SANYA KUMARI एवं SANIYA KUMARI, दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- MOHALLA REDME AT & P.O.-DALTONGANJ, DIST.- PALAMU, JHARKHAND-822101).

मैं, HEMBO TIGGA अन्य नाम AMBU ORAON, पिता LATE ETWA TIGGA, घोषणा करता हूँ कि मैं HEMBO TIGGA के नाम से जाना जाऊँगा।

HEMBO TIGGA एवं AMBU ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- SAPAROM, P.O.- SAPAROM, P.S.- NAGARI, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-835303).

मैं, KRISHNA MANDAL अन्य नाम KRISHAN MANDAL, पिता LATE LAXMI KAMAT, घोषणा करता हूँ कि मैं KRISHNA MANDAL के नाम से जाना जाऊँगा।

KRISHNA MANDAL एवं KRISHAN MANDAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- SARNA TOLI, CHIROUNDI, BOREYA, P.O.- BOREYA, P.S.- BARIATU, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834006).

मैं, MUSTAFA SHEKH अन्य नाम JUSTAFA SHEKH, पिता GAJALU SHEKH, घोषणा करता हूँ कि मैं MUSTAFA SHEKH के नाम से जाना जाऊँगा।

MUSTAFA SHEKH एवं JUSTAFA SHEKH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- DAKSHIN PIYARPUR, P.O.- PIYARPUR, P.S.- RADHANAGAR, SUB DIVI.-RAJMAHAL, DIST.- SAHIBGANJ, JHARKHAND).

मैं, RITESH PRASAD SAHU अन्य नाम BHUTESH PRASAD SAHU, पिता LATE BIJAY SAHU, घोषणा करता हूँ कि मैं RITESH PRASAD SAHU के नाम से जाना जाऊँगा।

RITESH PRASAD SAHU एवं BHUTESH PRASAD SAHU दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- 3/2/C, 3RD FLOOR, JAGS VAISHNAVI, KITAIH, P.O.- PARSUDIH TOWN JAMSHEDPUR, DIST.- EAST SINGHBHUM, JHARKHAND-831002).

मैं, TANJIB AKHATAR अन्य नाम MD TAMJID ANSARI, पिता SARFRAJ ANSARI, घोषणा करता हूँ कि मैं TANJIB AKHATAR के नाम से जाना जाऊँगा।

TANJIB AKHATAR एवं MD TAMJID ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- TASRAR, P.O.- JARHI, P.S.- DANDAT, DIST.- GARHWA, JHARKHAND).

मैं, D DEV अन्य नाम D. DEV, पिता D BOGESH, घोषणा करता हूँ कि मैं D DEV के नाम से जाना जाऊँगा।

D DEV एवं D. DEV दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- K2-48, CROSS ROAD NO.-30, TRUCK PARK, TELCO COLONY, P.O.+P.S.- TELCO JAMSHEDPUR, DIST.- EAST SINGHBHUM, JHARKHAND-831004).

मैं, OMKAR SHARMA अन्य नाम DEEPAK KUMAR VISHWAKARMA, पिता CHIRANJIVILAL VISHWAKARMA, घोषणा करता हूँ कि मैं OMKAR SHARMA के नाम से जाना जाऊँगा।

OMKAR SHARMA एवं DEEPAK KUMAR VISHWAKARMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- R/O SHIV MANDIR, KUJU WEST, BESIDE CO-OPERATIVE BANK MURPA, P.O.- KUJU, P.S.- MANDU, DIST.- RAMGARH, JHARKHAND).

मैं, SHANE WARIS अन्य नाम MD. SHAANE WARIS, पिता MAZHAR HASAN FIRDAUSI, घोषणा करता हूँ कि मैं SHANE WARIS के नाम से जाना जाऊँगा।

SHANE WARIS एवं MD. SHAANE WARIS, दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- WARD NO.-1 LIYAKAT ALI LANE, DAHUGUTU, P.O.+ P.S.- KHUNTI, DIST.- KHUNTI, JHARKHAND-835210).

मैं, मो० निहाल अहमद अन्य नाम NIHAL AHMAD, पिता नसीर उद्दीन, घोषणा करता हूँ कि मैं मो० निहाल अहमद के नाम से जाना जाऊँगा।

मो० निहाल अहमद एवं NIHAL AHMAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- QUAZIMAGHA, P.O.+P.S.-JAMUA, DIST.- GIRIDIH, JHARKHAND).

मैं, SUBHASH DAS, SANGHAVI KUMARI अन्य नाम MISTY की पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SANGHAVI KUMARI के नाम से जानी जाएगी।

SANGHAVI KUMARI एवं MISTY दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- RLY QR NO.-G-106/1 ACCOUNTS, COLONY, NEAR RUNNING ROOM, P.O.+P.S.-CHAKRADHARPUR, DIST.- WEST SINGHBHUM, JHARKHAND).

मैं, SHIREEN TABASSUM अन्य नाम S. TABASSUM, पति HASAN IMAM KHAN, घोषणा करती हूँ कि मैं SHIREEN TABASSUM के नाम से जानी जाऊँगी ।

SHIREEN TABASSUM एवं S. TABASSUM दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- H.NO.-2, ROAD NO-4, BARINAGAR, P.O.-TELCO WORKS, P.S.- TELCO, NORTH GHORABANDHA, DIST.- EAST SINGHBHUM, JHARKHAND).

मैं, नंदू कुम्हार (NANDU KUMHAR) अन्य नाम लुंदरा (LUNDRA), पिता गोवर्दन कुम्हार, घोषणा करता हूँ कि मैं नंदू कुम्हार (NANDU KUMHAR) के नाम से जाना जाऊँगा ।

नंदू कुम्हार (NANDU KUMHAR) एवं लुंदरा (LUNDRA) दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- SIRKA KAHVWA BERA, P.O.- ARGADA, P.S.- RAMGARH, DIST.- RAMGARH, JHARKHAND).

मैं, AMRESH KUMAR CHOUDHARY अन्य नाम AMARESH KUMAR CHOUDHARY, पिता LATE NASHIBI CHOUDHARY, घोषणा करता हूँ कि मैं AMRESH KUMAR CHOUDHARY के नाम से जाना जाऊँगा ।

AMRESH KUMAR CHOUDHARY एवं AMARESH KUMAR CHOUDHARY दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- JANTA FLAT 5/3, NEAR HOME GUARD OFFICE, HARMU HOUSING COLONY HARMU, DIST.- RANCHI, JHARKHAND).

मैं, NIJREN BINITA TOPNO अन्य नाम BINITA TOPNO, पिता DANIL TOPNO पति BASANT HEMROM, घोषणा करती हूँ कि मैं NIJREN BINITA TOPNO के नाम से जाना जाऊँगा ।

NIJREN BINITA TOPNO एवं BINITA TOPNO दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL-HUTUBDA, P.O.- KUTUNGIA NOW P.O.-BARIBIRINGA, P.S.- JALDEGA, DIST.- SIMDEGA, JHARKHAND).

मैं, जैदा बीबी (ZAIDA BIBI) अन्य नाम जायदा बीबी (JAYADA BIBI), पति सेख समशेर, घोषणा करती हूँ कि मैं जैदा बीबी (ZAIDA BIBI) के नाम से जाना जाऊँगा ।

जैदा बीबी (ZAIDA BIBI) एवं जायदा बीबी (JAYADA BIBI) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL-GIDHA, P.O.- SANGRAHEKALA, P.S.- GARHWA, DIST.- GARHWA, JHARKHAND).

मैं, BISHNUDEO THAKUR अन्य नाम BISHNU DEO THAKUR, पिता RAM PRAVESH THAKUR, घोषणा करता हूँ कि मैं BISHNUDEO THAKUR के नाम से जाना जाऊँगा ।

BISHNUDEO THAKUR एवं BISHNU DEO THAKUR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- MAKAN NO.- B2176, H.E.C. COLONY, SITE 4, DHURWA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834004).

मैं, RITIRAJ SINGH अन्य नाम RITIRAJ, पिता MADAN MOHAN SINGH, घोषणा करता हूँ कि मैं RITIRAJ SINGH के नाम से जाना जाऊँगा ।

RITIRAJ SINGH एवं RITIRAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- QR.-NO.- DT 1780, SECTOR-9, H.E.C. COLONY, DHURWA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834004).

मैं, प्रिशिला मालतो, डेविड मालतो (DAVID MALTO) अन्य नाम दाउद मालतो (DAUD MALTO) का माता, घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र डेविड मालतो (DAVID MALTO) के नाम से जानी जाएगी ।

डेविड मालतो (DAVID MALTO) एवं दाउद मालतो (DAUD MALTO) दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- JOKMARI, P.O.-MADEVGANJ, BLOCK- MANDRO, P.S.- JIRWABART, DIST.- SAIBGANJ, JHARKHAND-816107).

मैं, SATYENDRA KUMAR SINGH अन्य नाम MOHAN SINGH, पिता LATE SHARAD CHANDRA SINGH, घोषणा करता हूँ कि मैं SATYENDRA KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा ।

SATYENDRA KUMAR SINGH एवं MOHAN SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- PLOT NO.-B-1 SECTOR MARKERT, SECTOR-1, BOKARO STEEL CITY, P.O.&P.S.- B.S. CITY, DIST.- BOKARO, JHARKHAND-8827001).

मैं, रंगबाला देवी (RANGBALA DEVI) अन्य नाम RANGWALA DEVI, पति स्व० जीतू बाबु (JITU BABU), घोषणा करती हूँ कि मैं रंगबाला देवी (RANGBALA DEVI) के नाम से जानी जाऊँगा ।

रंगबाला देवी (RANGBALA DEVI) एवं RANGWALA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL-KARAMBU, P.O.- BARUHATU, P.S.-BUNDU, DIST.- RANCHI, JHARKHAND).

मैं, P. AYUSHI RAO अन्य नाम AYUSHI RAO, P. AYUSHI, पिता P. RATNA RAO, घोषणा करती हूँ कि मैं P. AYUSHI RAO के नाम से जानी जाऊँगा ।

P. AYUSHI RAO एवं AYUSHI RAO, P. AYUSHI तीनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- HOUSE NO.06/1, A BLOCK EADEN PARK JAMSHEDPUR, KADMA, DIST.- EAST SINGHBHUM, JHARKHAND).

मैं, ANKITA KUMARI अन्य नाम KUMARI ANKITA, पिता GHANSHYAM DANGI, घोषणा करती हूँ कि मैं ANKITA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगा ।

ANKITA KUMARI एवं KUMARI ANKITA तीनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O- PATHALGADDA, P.O.- PATHALGADDA, P.S.-PATHALGADDA, DIST.- CHATRA, JHARKHAND).

मैं, NILIMA SORENG अन्य नाम SISTER MARY MARGARET M.C., पिता HILARUS SORENG, घोषणा करती हूँ कि मैं NILIMA SORENG के नाम से जानी जाऊँगा ।

NILIMA SORENG एवं SISTER MARY MARGARET M.C. दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- MISSIONARIES OF CHARITY CONTEMPLATIVE, NAYA TOLI, DIBADIH, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834002).

मैं, LUCIA SORENG अन्य नाम SISTER M. CHRISANTA M.C., पिता MARKUS SORENG, घोषणा करती हूँ कि मैं LUCIA SORENG के नाम से जानी जाऊँगा ।

LUCIA SORENG एवं SISTER M. CHRISANTA M.C. दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- MISSIONARIES OF CHARITY CONTEMPLATIVE, NAYA TOLI, DIBADIH, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834002).

मैं, सोनी कुमारी अन्य नाम सरस्वती कुमारी, पिता भुमेश्वर राय, घोषणा करती हूँ कि मैं सोनी कुमारी के नाम से जानी जाऊँगा ।

सोनी कुमारी एवं सरस्वती कुमारी दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- PAHARPUR, P.O.- THAKURNAHAN, P.S.- POREYAHAT, DIST.- GODDA, JHARKHAND-814145).

मैं, SIKANDAR KUMAR, SHREYASH SAUMY अन्य नाम AVI ARYAN का पिता, घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SHREYASH SAUMY के नाम से जाना जाएगा।

SHREYASH SAUMY एवं AVI ARYAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- URIMARI NEAR PAHADI MANDIR, P.S.-BARKAGOAN, DIST- HAZARIBAG, JHARKHAND).

शुद्धि पत्र

मैं, SAROJANI HEMBEROM अन्य नाम MINA HEMBRAM, पिता CHONO HEMBEROM, घोषणा करती हूँ कि मैं SAROJANI HEMBEROM के नाम से जानी जाऊँगी।

SAROJANI HEMBEROM एवं MINA HEMBEROM दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- FHULBARIYA, P.O.- CHAPRI, P.S.-THAKUR GANGTI DIST.- GODDA, JHARKHAND).

NOTE- गज़ट संख्या - 38, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को इस हद तक संशोधित पढ़ा जाये।